

# न्यायालय जिला कलक्टर, सिरौही (राज.)

बईजलास श्रीमती अल्पा चौधरी, आई.ए.एस.

पंचायत निगरानी सं. 43/2023

## प्रार्थी

1. श्री रमेशचन्द्र सोनी पुत्र श्री विष्णुदत्तजी जाति सोनी निवासी झाडौली तहसील पिण्डवाडा जिला सिरौही।
2. श्रीकान्त सोनी पुत्र श्री विष्णुदत्तजी जाति सोनी निवासी झाडौली तहसील पिण्डवाडा जिला सिरौही।

बनाम

## अप्रार्थीगण

1. श्री अतुल कुमार पुत्र श्री पानाचन्द जी मेहता जाति जैन निवासी झाडौली हाल 17, धनलक्ष्मी मार्केट, रेवडी बाजार अहमदाबाद, गुजरात।
2. श्री संजय कुमार पुत्र श्री पानाचन्द जी मेहता जाति जैन निवासी झाडौली हाल 17, धनलक्ष्मी मार्केट, रेवडी बाजार अहमदाबाद, गुजरात।
3. श्री शाह रणजीत कुमार पुत्र श्री भैरूलाल जाति जैन निवासी झाडौली हाल के-9, सुजाता फ्लैट, शाही बाग, अहमदाबाद, गुजरात।
4. श्री शाह चम्पालाल पुत्र श्री भैरूलाल जाति जैन निवासी झाडौली हाल जे-10, सुजाता फ्लैट, शाही बाग, अहमदाबाद, गुजरात।
5. श्री रमनलाल पुत्र श्री भैरूलाल जाति जैन निवासी झाडौली हाल ए-10, नाकौडा पार्क सोसायटी, सुजाता फ्लैट के पास, शाही बाग, अहमदाबाद, गुजरात।
6. ग्राम पंचायत झाडौली जरिए सरपंच ग्राम पंचायत झाडौली तहसील पिण्डवाडा जिला सिरौही।

पंचायत निगरानी प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा 97 राज. पंचायती राज अधिनियम, 1994

## उपस्थिति:-

1. श्री राजेन्द्रसिंह आढ़ा, अधिवक्ता प्रार्थीगण की ओर से।
2. श्री अश्विन मरडिया, अधिवक्ता अप्रार्थीगण संख्या एक से पांच की ओर से।

## निर्णय

दिनांक: 22.12.2025

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी ने यह निगरानी प्रार्थना-पत्र राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 97 के तहत सरपंच ग्राम पंचायत, झाडौली द्वारा अप्रार्थी संख्या एक से पांच के पूर्व रसाधिकारी श्री पानाचन्द, भैराराम पिसरान श्री दानमल के हक में पारित किया गया प्रस्ताव संख्या 16 दिनांक 19.06.1979 को निरस्त कराने हेतु इस बिनाय पर प्रस्तुत किया कि उक्त प्रस्ताव विधि विरुद्ध लिया गया है एवं उक्त प्रस्ताव की पालना में ग्राम पंचायत झाडौली द्वारा राजस्थान पंचायती राज सामान्य नियम 1961 के नियम 257, 258, 259, 260 की पालना किये बिना नियम 266 के तहत 120 वर्गफीट भूमि को मूल पट्टे में शुमार (एडजस्ट) किया गया है।

प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत निगरानी प्रार्थना-पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किये गये। अप्रार्थी संख्या एक से पांच की ओर से अधिवक्ता श्री अश्विन मरडिया ने जरिए वकालतनामा के उपस्थिति दी एवं जबाव प्रस्तुत किया, जो शामिल मिसल किए गए। प्रकरण मे दोनो पक्षों की विस्तृत बहस सुनी गई।

जिला कलक्टर, सिरौही

.....पेज नं. 02

प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता श्री राजेन्द्रसिंह आढ़ा द्वारा दौराने बहस मेरा ध्यान उनकी ओर से प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र में अंकित तथ्यों की ओर आकर्षित करते हुए यह व्यक्त किया कि पंचायत द्वारा अप्रार्थी संख्या एक से पांच के पूर्व रसाधिकारी श्री पानाचन्द, भैराराम पिसरान श्री दानमल के हक में नियमों के विपरित प्रस्ताव संख्या 16 दिनांक 19.06.1979 पारित किया गया है। यह कि गांव झाडौली तहसील पिण्डवाडा जिला सिरौही में एडमिनिस्ट्रेटर राज सिरौही द्वारा पट्टा संख्या 31 दिनांक 26.10.1949 को शाह दानमल, पानाचन्द, भैरूलाल, बेटा पोता खुशाल के नाम जारी किया गया था। उक्त पट्टा के दक्षिण दिशा में हीण में दरवाजा एक दर्शाया हुआ है। अप्रार्थीगण ने उक्त मकान की लम्बाई 50 फुट की बजाय आगे की ओर लगभग 4 फुट अतिक्रमण कर उसमें बरामदा व बरामदे में लैट्रिन बाथरूम का निर्माण कर रखा है। उक्त मकान के दक्षिण दिशा में सार्वजनिक चौक की जमीन आई हुई है। उसके पश्चात् अप्रार्थीगण की ओर से कलेक्टर डिस्ट्रीक्ट सिरौही को मुगालते में रख उक्त मकान के आगे आम चौक में गलत रूप से पेडला होना बताते हुए 7 गुणा 17.6 कुल 122.6 समचौरस भूमि का अवैध रूप से पट्टा बनवाया एवं इसके उपरांत भी वह अतिक्रमण से बाज नहीं आया एवं ग्राम पंचायत को मुगालते में रखकर अपने मकान के आगे पुनः पेडला बताते हुए 15 गुणा 8 कुल 120 वर्गफुट भूमि का अवैध रूप से, पूर्व में जो पट्टा जारी किया गया था, उसी मूल पट्टे पर इन्द्राज करवाकर अपने पक्ष में उक्त आम चौक की भूमि का पट्टा अवैध रूप से बनाया है, जिसको निरस्त करने के लिए प्रार्थीगण का यह निगरानी प्रार्थना पत्र प्रस्तुत है। यह कि गाँव झाडौली तहसील पिण्डवाडा में छीपों की पोल में छीपा मगना वल्द नाथा का पट्टा संख्या 700 दिनांक 15.07.1947 व पट्टा संख्या 207 दिनांक 20.01.1948 की आवासीय सम्पत्ति आई हुई थी, जिसे नैनमल पुत्र माणकचन्दजी ने जरिए रजिस्टर्ड विक्रय विलेख दिनांक 27.12.1997 के कुल 1510-1<sup>1/2</sup> की कुल भूमि खरीद की थी। श्री नैनमल पुत्र माणकचन्दजी, कान्तिलाल पुत्र माणकचन्दजी और विष्णुदत्त पुत्र माणकचन्दजी के सभी भाईयों के पुश्तैनी शामलाति सम्पत्ति थी, जिसमें नैनमल पुत्र माणकचन्दजी द्वारा खरीदे गये उपरोक्त भूखण्ड भी शामलाति में थे। तीनो भाईयों ने अपने सम्पूर्ण आवासीय पुश्तैनी सम्पत्ति का एक आपसी बंटवाडनामा रूबरू गवाहान दिनांक 10.02.2007 को निष्पादित किया था एवं उक्त बंटवाड में नैनमल पुत्र माणकचन्दजी द्वारा खरीदे गये उपरोक्त दोनो भूखण्ड विष्णुदत्त पुत्र माणकचन्दजी के हिस्से में आये थे। अब विष्णुदत्तजी का भी देहावसान हो चुका है तथा उपरोक्त दोनो भूखण्ड पर बहैसियत मालिक व स्वामी प्रार्थीगण काबिज है एवं वर्तमान में उक्त आवासीय भूखण्ड पर बने मकान जर्जर होने से उन्हे गिरा दिया है तथा प्रार्थीगण उक्त जगह पर अब नये मकान बना रहे है। यह कि उपरोक्त दोनो भूखण्डों के दरवाजे पश्चिम दिशा में खुलते है एवं दोनो ही भूखण्डों के पश्चिम दिशा में एक-एक दरवाजा पूर्व में भी होने का पट्टों में इन्द्राज किया गया है। इस प्रकार उक्त दोनो भूखण्डों के पश्चिम दिशा में चौक की भूमि स्थित है तथा चौक में दरवाजे खुलते है। वर्तमान में प्रार्थीगण माह सितम्बर, 2022 में मकान पर निर्माण कार्य करने हेतु पुराने जर्जर ढांचे को हटा रहे थे तब अप्रार्थी अतुल कुमार द्वारा उक्त काम में बाधा उत्पन्न करने पर प्रार्थी ने विकास अधिकारी पंचायत समिति पिण्डवाडा व राजस्थान सम्पर्क पोर्टल पर इस संबंध में परिवाद प्रस्तुत किया, जिस पर प्रार्थीगण ने ग्राम पंचायत झाडौली में भी प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया था एवं प्रार्थी ने अपने मकान के संबंध में पुराने मलबे को वहाँ से मजदूरों की सहायता से हटवाया लेकिन अप्रार्थी अतुल कुमार ने गलत रूप से प्रार्थीगण के विरुद्ध पुलिस में मुकदमा दर्ज करवाया तथा सर्वप्रथम मार्च 2023 के पश्चात् चौक की भूमि में ग्राम पंचायत द्वारा उन्हे पट्टा देने की जानकारी पुलिस थाना में प्रस्तुत की, जिस पर प्रार्थीगण द्वारा ग्राम पंचायत झाडौली में सूचना के अधिकार के तहत एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जिसका ग्राम पंचायत झाडौली की ओर से पत्र कमांक ग्रा.प. /2023-24/171 दिनांक 31.05.2023 के द्वारा प्रार्थी श्री रमेशचन्द्र को जवाब प्रस्तुत कर सूचना दी गयी कि पूर्व में जो पट्टे जारी होना बताया है, उस संबंध में ग्राम पंचायत में कोई रिकार्ड उपलब्ध नहीं है तथा ग्राम पंचायत झाडौली द्वारा बैठक प्रस्ताव संख्या 16 दिनांक 19.06.1979 शाह पानाचन्द पुत्र श्री दानमल जैन के पक्ष में 25 रूपये की कीमत से जरिए रसीद संख्या 62 के पट्टा जो जीर्ण-शीर्ण व अपठनीय होने से प्रार्थी को



उपलब्ध कराना संभव नहीं है। उक्त रसीद संख्या व जारी दिनांक का इन्द्राज प्रार्थी के स्टेट समय में जारी मूल पट्टे पर किया गया है। यह कि इन सभी दस्तावेजात से यह पूर्णतया प्रमाणित है कि अप्रार्थी संख्या एक से पाँच के पूर्व रसाधिकारी को जो पट्टे जारी किये गये है वे रास्ते व आम चौक की भूमि के अवैध रूप से जारी किये गये हैं, जिन्हे जारी करने का ग्राम पंचायत को कानूनन कोई हक व अधिकार नहीं है। उक्त भूमि आम रास्ते व चौक की भूमि है। इस भूमि में प्रार्थीगण के मालिकी स्वामित्व की भूमि के दो दरवाजे खुलते हैं तथा पडौस में जो मकानात आये हुये हैं, उन सभी मकानात के दरवाजे भी उसी चौक में खुले हैं, जिसका आने-जाने के रूप में रास्ते का उपयोग करते हैं। अप्रार्थीगण के हक में पूर्व में जो पट्टा संख्या 31 दिनांक 27.10.1949 को जारी किया गया है, उसके पश्चिम दिशा में मुथा त्रिलोकचंद जेता का मकान दर्शाया हुआ है। उक्त मकान भी चौक से 4 फुट अन्दर की तरफ बना हुआ है। अप्रार्थी ने अपने पट्टे के अलावा पूर्व से ही 4 फुट लम्बाई में अवैध निर्माण कर रखा है एवं उसके आगे आम चौक में अतिक्रमण कर पेडलों की आड में रास्ते व चौक की भूमि में गलत रूप से ग्राम पंचायत से मेल मिलाप कर प्रस्ताव संख्या 16 दिनांक 19.06.1979 के जरिए अवैध रूप से पट्टा बनवाया है, जो कानूनन अवैध व शून्य बातिल दस्तावेज है तथा ऐसे दस्तावेज से अप्रार्थी संख्या एक से पांच को कानूनन कोई हक पैदा नहीं होते हैं। यह कि ग्राम पंचायत ने इस पट्टे के संबंध में कोई मिसल का संधारण नहीं किया है, न ही कमेटी गठित कर मौका स्थल का निरीक्षण किया है, न ही इस संबंध में आपत्ति पत्र जारी किया है एवं अप्रार्थीगण के पूर्व रसाधिकारी के आपस में मेलमिलाप कर सांठगांठ कर आम रास्ते व चौक की भूमि का 8 गुणा 15 कुल 120 फीट का पट्टा मात्र 25 रुपये में देना बताकर अवैध रूप से पट्टा जारी किया है, जो निरस्त किये जाने योग्य है। यह कि शाह दानमल के पिता का नाम खुशालजी था तथा दानमल के दो पुत्र पानाचन्द व भैरालाल थे, जिनके पट्टा संख्या 101 के पुष्ट भाग में ग्राम पंचायत झाडोली द्वारा प्रस्ताव संख्या 16 दिनांक 19.06.1979 के तहत नियम 266 के अनुसार पट्टा जारी करने का उल्लेख किया है, जिसमें पानाचन्दजी व भैरालालजी का भी स्वर्गवास हो चुका है। पानाचन्दजी के वारिसदार अप्रार्थी संख्या एक व दो हैं तथा भैरालालजी के वारिसदार अप्रार्थी संख्या तीन से पांच हैं जिन्हे उनकी जगह पक्षकार बनाकर यह निगरानी प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है। यह कि उक्त अवैध पट्टे की आड में अप्रार्थी संख्या एक व दो प्रार्थीगण के निर्माण कार्य में बाधा उत्पन्न कर रहे हैं, जिन्हे बाधा उत्पन्न करने का कोई कानूनन हक व अधिकार नहीं है। मौके पर 15 गुणा 8 कुल 120 वर्गफुट की कोई खाली भूमि स्थित नहीं है। उक्त अवैध पट्टों की आड में प्रार्थीगण आम सार्वजनिक चौक पर अवैध रूप से अतिक्रमण करने पर आमादा है। यह कि अप्रार्थीगण के पूर्व रसाधिकारी को भी पट्टा संख्या 101 भी गलत रूप से प्रदान किया गया था, जिसके संबंध में भी प्रार्थीगण विधि सम्मत अलग से कार्यवाही कर रहे हैं एवं उक्त पट्टे के पुष्ट भाग पर जो ग्राम पंचायत झाडोली द्वारा पट्टा जारी किया गया है जिसे इस निगरानी प्रार्थना पत्र के जरिए निरस्त करवाने हेतु यह निगरानी प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने का कारण पैदा हुआ है और यह निगरानी प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है। यह कि निगरानी प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने में कानूनन कोई अवधि निर्धारित नहीं है, लेकिन अप्रार्थी संख्या एक ने माह मार्च 2023 में सर्वप्रथम उक्त पट्टे की फोटो प्रति पुलिस थाना पिण्डवाडा में प्रस्तुत की, जिस पर उक्त पट्टा अवैध रूप से ग्राम पंचायत द्वारा जारी होने की जानकारी हुई, जिससे बिना किसी देरी के यह निगरानी प्रार्थना पत्र प्रस्तुत है, इसके उपरांत भी आम चौक व रास्ते की भूमि में ग्राम पंचायत को कानूनन पट्टा देने का अधिकार नहीं है। इस प्रकार उक्त पट्टा स्वतः ही शून्य व बातिल दस्तावेज है। ऐसे दस्तावेज को निरस्त करने के लिए कभी भी चुनौती दी जा सकती है। अतः श्रीमान से निवेदन है कि प्रार्थीगण का उक्त निगरानी प्रार्थना पत्र स्वीकार फरवाया जाकर अप्रार्थी संख्या एक से पांच के पूर्व रसाधिकारी श्री पानाचंद, भैराराम, पिसरान दानमल के हक में पारित प्रस्ताव संख्या 16 दिनांक 19.06.1979 को निरस्त करवाना फरमावे।

अप्रार्थी संख्या एक से पांच की ओर से उनके लायक अधिवक्ता श्री अश्विन मरडिया द्वारा दौराने बहस मेरा ध्यान इस निगरानी मे प्रस्तुत जवाब में अंकित तथ्यों की

.....पेज नं. 04

ओर आकर्षित करते हुए निवेदन किया कि गांव झाडोली, तहसील पिंडवाडा, जिला सिरौही में एडमिनिस्ट्रेटर राज सिरौही द्वारा पट्टा संख्या 31 दिनांक 26.10.1949 को शाह दानमल, पानाचंद, भेरूलाल बेटा पोता खुशाल के नाम जारी किया गया था तथा उक्त पट्टा के दक्षिण दिशा में हीण में दरवाजा एक दर्शाया हुआ होना स्वीकार है। उक्त पट्टा अप्रार्थीगण के पूर्व रसाधिकारियों के कब्जे भोगवटा की भूमि का जारी किया गया था। अप्रार्थी संख्या तीन से पांच व छः का उक्त मकान से कोई संबंध नहीं है। अप्रार्थी संख्या एक व दो तथा तीन से पांच के पिता के मध्य हुए संपत्ति के मौखिक विभाजन में उक्त मकान अप्रार्थीगण संख्या एक व दो के पिता पानाचंदजी के हिस्से में आया था। अप्रार्थीगण का मकान करीब 100 वर्ष से भी अधिक पुराना बना हुआ था। मकान के आगे मकान के साथ ही निर्मित चबूतरा पेड़ला बना हुआ था। उक्त मकान अप्रार्थीगण के पिता के हिस्से में आने के पश्चात् करीब 45 वर्ष पूर्व अप्रार्थीगण के पिता द्वारा उक्त मकान का नव निर्माण करवाया गया था तथा मकान का निर्माण पट्टेशुदा भूमि की सीमा में ही करवाया गया है। अप्रार्थीगण के मकान के आगे स्थित बरामदा व उसमें मौजूद लेट्रिन बाथरूम पट्टा संख्या 31 की भूमि में बने हुए हैं तथा उसमें अप्रार्थीगण के स्वामित्व के पट्टा संख्या 101 की एक फुट भूमि भी शामिल है। यह कि प्रार्थीगण को संभवतः अप्रार्थीगण का पट्टा समझ नहीं आया है अथवा जानबूझकर सही तथ्य छिपाकर न्यायालय से छल पूर्वक अनुतोष प्राप्त करना चाहते हैं। अप्रार्थीगण के उक्त मकान के दक्षिण में निर्मित पेड़ले के अलावा अप्रार्थीगण के पूर्व रसाधिकारियों के स्वामित्व की 122.6 वर्गफीट पट्टेशुदा भूमि भी थी। उक्त भूमि का पट्टा संख्या 72 दिनांक 25.07.1910 शाह खुशाल दानमल चुन्नीलाल रतना औतर के नाम का जारी हो रखा था। जिसका तब्दील पट्टा संख्या 101 दिनांक 07.06.1952 शाह दानमल पानाचंद भैरालाल बेटा पोता खुशाल के नाम से जारी हुआ है। उक्त पट्टा संख्या 72 की भूमि पूर्व दिशा में छिपा मगना डासूजी के मकान से लगती हुई थी तथा उत्तर दिशा में अप्रार्थीगण के मकान से लगती हुई थी। अप्रार्थीगण के पिता द्वारा दिए गए आवेदन पर मकान के लगते दक्षिण दिशा में मौजूद पेड़ले की 120 वर्ग फीट भूमि का विक्रय ग्राम पंचायत झाडोली द्वारा दिनांक 19.06.1979 को किया गया था तथा उक्त विक्रयशुदा भूमि को पट्टा संख्या 101 की भूमि में शुमार किया गया। अप्रार्थीगण द्वारा किसी प्रकार का अतिक्रमण नहीं किया गया है। जिला कलेक्टर सिरौही से पट्टा अप्रार्थीगण ने नहीं बनवाया है बल्कि अप्रार्थीगण के पूर्व रसाधिकारियों द्वारा बनवाया गया है। उक्त पट्टा बनवाने में किसी प्रकार का मुगालता नहीं दिया गया है। मुगालता प्रार्थीगण अवश्य माननीय न्यायालय को दे रहे हैं। सिरौही रियासत द्वारा जारी पट्टा संख्या 72 दिनांक 25.07.1910 का ही तब्दील पट्टा डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर सिरौही द्वारा दिनांक 07.06.1952 को जारी किया गया है और उक्त सही तथ्य प्रार्थीगण ने न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया है। मकान के आगे पेड़ला पहले से बना हुआ था, परंतु तब्दील पट्टे में उसे सम्मिलित नहीं किए जाने के कारण पुनः पट्टा बनवाने हेतु आवेदन दिया जाना पडा। जारी पट्टे वाली भूमि ना तो आम चौक की भूमि थी और ना उसका उपयोग कभी भी आम चौक के रूप में हुआ। प्रार्थीगण न्यायालय के समक्ष स्वच्छ हाथों से नहीं आए है और रियासत काल से अप्रार्थीगण के पूर्व रसाधिकारियों द्वारा बतौर स्वामी उपयोग की जा रही भूमि को आम चौक की भूमि दर्शा रहे हैं। यह कि अप्रार्थीगण की जानकारी में मगना पुत्र नाथा नामक व्यक्ति के स्वामित्व का पट्टा संख्या 700 व 207 नहीं था। नैनमल पुत्र माणकचंद जी, कांतिलाल पुत्र माणकचंद जी और विष्णुदत्त पुत्र माणकचंद जी के सभी भाइयों के पुश्तैनी शामलाती संपत्ति होना, जिसमें नैनमल पुत्र माणकचंद जी द्वारा खरीदे गए उपरोक्त भूखंड भी शामलात में होना, तीनों भाइयों द्वारा अपने संपूर्ण आवासीय पुश्तैनी संपत्ति का एक आपसी बटवारानामा रूबरू गवाहान दिनांक 10.02.2007 को निष्पादित किया जाना, उक्त बंटवारे में नैनमल पुत्र माणकचंद जी द्वारा खरीदे गए उपरोक्त दोनों भूखंड विष्णुदत्त पुत्र माणकचंद जी के हिस्से में आना गलत कथन किया गया है। प्रार्थीगण के कथन अनुसार संपत्ति नैनमल द्वारा खरीद की गई थी और उक्त संपत्ति पुश्तैनी संपत्ति नहीं थी। प्रार्थीगण द्वारा दर्शाए अनुसार उक्त संपत्ति का एकमात्र स्वामी नैनमल ही था। उक्त संपत्ति में कथित कांतिलाल तथा विष्णुदत्त के कोई अधिकार ही नहीं थे। पत्रावली पर प्रस्तुत बंटवाडनाम के अवलोकन मात्र से उसका फर्जी, कूटरचित होना व



उसके साथ छेड़ छाड़ होना स्पष्ट है। कथित बंटवाड में मगनाजी से खरीद की हुई भूमि शामिल ही नहीं थी, उसका उल्लेख कथित विभाजन में पुनः अंकित किया है जो कथित बंटवाड की विश्वसनीयता व प्रमाणिकता को सदिग्ध करार देता है। उक्त सम्पत्ति का कथित बंटवाड भी हुआ है तो वह भी विधि विरुद्ध व अवैध है। प्रार्थीगण द्वारा विभाजन के पंजीकृत होने के संबंध में भी कोई कथन नहीं किया गया है, जबकि हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 6 के तहत विभाजन लिखित एवं पंजीकृत होना आज्ञापक है। विष्णुदत्त का पट्टा संख्या 700 व पट्टा संख्या 207 की संपत्ति में कोई अधिकार नहीं है और ना कभी उत्पन्न ही हुए। उक्त दोनों भूखंड पर प्रार्थीगण का कब्जा अवैध है। उक्त भूखंड पर मगना डासूजी का मकान बना हुआ था। यह कि प्रार्थीगण द्वारा दर्शाए गए कथित पट्टों वाले भूखंडों के पश्चिम दिशा में कभी भी दो दरवाजे नहीं रहे हैं। मगना पुत्र डासू जी के मकान का केवल मात्र एक दरवाजा पश्चिम दिशा में अप्रार्थीगण के स्वामित्व के पेड़ले के पश्चात् खुला हुआ था। उक्त पेड़ले की भूमि की सीमा तक मगनाजी के मकान की दीवार बनी हुई थी। मगनाजी के मकान के पश्चिम दिशा में खालसा भूमि थी। प्रार्थीगण उक्त कथित पट्टों की संपत्ति के स्वामी नहीं है। मगना जी के मकान का पुराना ढांचा दो वर्ष पूर्व गिराया जा चुका था। मगनाजी का एक मकान अभी भी गली के नुककड़ पर मौजूद है, जिसमें दरवाजा खुला हुआ है तथा अप्रार्थी संख्या एक व दो के मकान के पूर्व दिशा में स्थित मकान गिराया जा चुका है, जिसका भी दरवाजा अप्रार्थीगण के पेड़ले के बाद खुला हुआ था। अप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थीगण के निर्माण में कोई बाधा कभी भी उत्पन्न नहीं की गई है और ना प्रार्थीगण को कोई अधिकार ही उक्त भूमि में है। अप्रार्थीगण के स्वामित्व के पेड़ले व उसकी भूमि के कारण प्रार्थीगण उक्त अवैध कब्जेशुदा संपत्ति पर अपना मनपसंद भवन निर्माण नहीं करवा पा रहे थे। प्रार्थीगण झगड़ालू व गुण्डागर्दी करने वाले उग्र स्वभाव के व्यक्ति हैं। अप्रार्थी संख्या एक व दो की पट्टेशुदा भूमि पर मौजूद पेड़ले को अवैध अतिक्रमण होना बताकर हटा देने हेतु धमकी दे रहे थे। प्रार्थीगण द्वारा अप्रार्थी संख्या एक से पट्टे की मांग किए जाने पर अप्रार्थी संख्या एक ने दिनांक 17.12.2021 को जरिए व्हाट्सएप अपने मकान तथा पेड़लों के पट्टे की प्रति प्रार्थी संख्या दो को प्रेषित की। उसके उपरांत भी प्रार्थीगण ने दिनांक 10.10.2022 को ग्राम पंचायत में अप्रार्थीगण द्वारा अपने मकान के आगे अवैध रूप से पेड़ला बनाकर अतिक्रमण किए जाने की सर्वथा झूठी शिकायत की। उक्त शिकायत पर अप्रार्थी संख्या एक को ग्राम पंचायत द्वारा दिनांक 10.10.2022 को नोटिस भेजा गया। उक्त नोटिस का उत्तर तथा भूमि का निरीक्षण करवाने हेतु निवेदन भी अप्रार्थी संख्या एक द्वारा किया गया था। अपने मकसद में सफल नहीं होने पर प्रार्थीगण ने गुण्डागर्दी करते व कानून का माखौल उडाते दिनांक 26.04.2023 के पूर्व अप्रार्थीगण के स्वामित्व की पट्टेशुदा भूमि में विधि विरुद्ध प्रवेश कर मकान के मुख्य दरवाजे के पास बरामदे के पश्चात् बनी हुई दो सीढियां व उन सीढियों के दक्षिण में मौजूद 8 गुणा 15 फीट का चबूतरा, चबूतरे के दक्षिणी किनारे पर मौजूद रेलिंग व गेट, उक्त गेट के पश्चात् दक्षिण दिशा में बनी 5 सीढियां, उक्त सीढियों के पूर्व दिशा में स्थित 9 गुणा 6 फीट का चबूतरा, जिसका नव निर्माण करीब 45 वर्ष पूर्व करवाया गया था तथा मकान से निकलने वाली ड्रेनेज लाइन जो समस्त पट्टा संख्या 101 की भूमि पर बने हुए थे, को पूर्ण रूप से हटा दिया। उक्त तथ्य की जानकारी अप्रार्थी संख्या एक को होने पर उसके द्वारा पुलिस थाना पिंडवाड़ा में रिपोर्ट दी। उक्त रिपोर्ट पर जांच अधिकारी द्वारा कार्यवाही आरंभ किए जाने तथा प्रार्थीगण को पुलिस थाना में बुलाया जाने पर प्रार्थीगण ने अप्रार्थीगण के निर्माण को हटवाने में असफल रहने पर गुस्से में आकर उक्त निर्माण हटवा दिया जाना स्वीकार किया तथा अपनी गलती मानते हुए उक्त चबूतरे, जाली, सीढियों व पेड़लों का वापस यथावत निर्माण करवा देना लिख कर दिया। पड़ोसी होने के नाते प्रार्थीगण के आश्वासन पर उक्त रिपोर्ट पर आगे कोई कार्यवाही नहीं की गई। इसके पश्चात् प्रार्थीगण द्वारा तोड़फोड़ को पुनः निर्मित करवाने से इंकार कर दिया। प्रार्थीगण के उक्त कृत्य के कारण अप्रार्थीगण द्वारा पुनः पुलिस थाना पिंडवाड़ा में दिनांक 28.05.2023 को रिपोर्ट प्रस्तुत की गई जो प्रकरण संख्या 180 दिनांक 29.05.2023 पर दर्ज हो कर जांच लंबित है। जांच अधिकारी द्वारा पुनः मौका निरीक्षण किया गया था तथा ग्राम पंचायत से जानकारी मांगी गई। ग्राम पंचायत द्वारा अप्रार्थीगण की संपत्ति का मौका



निरीक्षण किया गया। ग्राम पंचायत द्वारा अप्रार्थीगण का निर्माण अप्रार्थीगण के पट्टेशुदा भूमि पर होना तथा प्रार्थीगण द्वारा सीढ़ियों, चबूतरों, पेड़लो व रेलिंग को नियम विरुद्ध तोड़ा जाना पाया गया। ग्राम पंचायत द्वारा प्रतिवेदन पुलिस थाना पिंडवाडा को प्रेषित किया गया। प्रार्थीगण द्वारा पुराने मलबे को मजदूरों की सहायता से हटवाया जाना झूठा कथन किया है, जबकि प्रार्थीगण द्वारा अप्रार्थीगण के पट्टेशुदा भूमि पर तोड़फोड़ की गई थी, उसी मलबे को हटवाया गया था। प्रार्थीगण द्वारा ग्राम पंचायत में आवेदन दिनांक 10.10.2022 को ही दिया जा चुका था। प्रार्थीगण न्यायालय के समक्ष स्वच्छ हाथों से नहीं आए हैं तथा पूर्णतया बनावटी व कूटरचित कथन किए हैं। यह कि अप्रार्थीगण के पूर्व रसाधिकारी के पक्ष में जारी किया गया पट्टा संख्या 101 का पट्टा संख्या 72 दिनांक 25.07.1910 पहले से बना हुआ था और उक्त पट्टा पेड़ले की भूमि का ही बना हुआ था। उक्त जारी शुदा पट्टा संख्या 72 तथा पट्टा संख्या 101 की भूमि में ना तो आम चौक और ना ही आम रास्ते की भूमि शामिल है। उक्त पट्टे आम रास्ते व चौक की भूमि को छोड़कर कब्जेशुदा व खालसा भूमि के जारी किए गए हैं। उक्त से असंगत हुए बिना निवेदन है कि पट्टा संख्या 72 पूर्व सिरोही रियासत द्वारा जारी किया गया था। यह गौर योग्य है कि सिरोही रियासत सार्वभौम सत्ता युक्त रियासत थी और रियासत में मौजूद समस्त भूमि का स्वामी राजा/जागीरदार होता था और उन्हें अपने स्वामित्व की भूमि को विक्रय करने का निर्बाध अधिकार था। झाडोली ग्राम में तत्समय कोई बिल्डिंग लाइन नहीं थी और ना आज भी है। प्रार्थीगण द्वारा दर्शाई जा रही अपनी भूमि के पूर्व स्वामी नेमीचंद द्वारा जो भूमि खरीद किया जाना कथन किया गया है, वह उसने मौके की स्थिति को यथावत स्वीकार करते खरीद की होगी। अप्रार्थीगण की उक्त पट्टा संख्या 31 व 72/101 की भूमि पर बने हुए निर्माण के संबंध में नेमीचंद के पूर्व रसाधिकारी मगना डासूजी द्वारा कभी कोई आपत्ति नहीं की गई और ना ही नेमीचंद द्वारा कभी कोई आपत्ति की गई है। यदि अप्रार्थीगण के पूर्व रसाधिकारी द्वारा आम रास्ते व चौक की भूमि में किसी प्रकार का अतिक्रमण अथवा निर्माण किया गया होता एवं मगना डासूजी के दरवाजे में कोई अवरोध हुआ होता तो मगनाजी अथवा उनके उत्तराधिकारीगणों द्वारा अवश्य आपत्ति की जाती। त्रिलोकचन्द द्वारा मकान किस प्रकार बनाया गया है, उससे अप्रार्थीगण का कोई सम्बन्ध नहीं है। त्रिलोकचंद जी के मकान से अप्रार्थीगण के मकान को आम चौक में अतिक्रमण कर निर्मित किए जाने की अवधारणा नहीं ली जा सकती है। अप्रार्थीगण द्वारा रास्ते व चौक की भूमि का कोई पट्टा ग्राम पंचायत से नहीं बनवाया गया है। बल्कि दिनांक 19.06.1979 को जारी पट्टे वाली भूमि तब्दील पट्टे में छूट जाने से तथा अप्रार्थीगण का उक्त भूमि पर कब्जा पूर्व रसाधिकारियों के जरिए 100 वर्ष से अधिक समय से चला आ रहा होने के कारण बनाया गया है। प्रार्थीगण को उक्त पट्टों को चुनौती देने का अधिकार ही नहीं है। प्रार्थीगण स्वयं अतिक्रमी है तथा बिना किसी वैध हस्तांतरण के अपने कब्जेशुदा भूमि में अधिकार होना कथन कर रहे हैं। प्रार्थीगण को सिरोही रियासत के कृत्यों को चुनौती देने का अधिकार ही नहीं है। यह कि पट्टे पर लिखी गई इबारत से यह स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत द्वारा मिसल का रांधारण किया गया है। ग्राम पंचायत द्वारा बिना किसी प्रक्रिया के अपनाएं पट्टा जारी किया जाना संभव ही नहीं था। ग्राम पंचायत से अप्रार्थीगण ने उक्त पट्टा पत्रावली की मांग की थी, परंतु अभिलेख जीर्ण-शीर्ण होने व अपठनीय होने से नकल नहीं दी गई। उक्त से असंगत हुए बिना निवेदन है कि अप्रार्थीगण के पिता केवल मात्र अपने पुराने कब्जे की भूमि क्रय करने हेतु आवेदक थे। नियमों की पालना करने का दायित्व अप्रार्थी संख्या छः का था। अप्रार्थी संख्या एक व दो की जानकारी में ग्राम पंचायत द्वारा नियमों की विधिवत पालना की गई है। नियम व प्रावधान विधिक प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए बनाए गए हैं न कि उनकी आड में अडचने व उलझने पैदा करने के लिए। नियमों की व प्रावधानों की पालना किया जाना आवेदक से अपेक्षित नहीं था। यह कि पानाचंद जी व गैरालाल जी के गध्य संपत्ति का विभाजन हो चुका था तथा पट्टा संख्या 31 व 101 की संपत्ति पानाचंद जी के हिस्से में आई थी। प्रार्थीगण को यह भली-भांति ज्ञात है कि मकान अप्रार्थी संख्या एक व दो का है और पट्टा संख्या 101 की पुष्ट में मात्र पानाचंद जी का नाम दर्ज है। प्रार्थीगण ने अप्रार्थी संख्या तीन से पांच को मात्र हैरान परेशान करने के लिए इरादतन गलत रूप से पक्षकार बनाया है। यह कि प्रार्थीगण अवैध रूप से



अप्रार्थीगण के स्वामित्व की भूमि में दरवाजा खोलना चाहते हैं। प्रार्थीगण ने गली के मध्य वाहन खड़ा कर अप्रार्थीगण का उनके मकान में प्रवेश भी बाधित कर रखा है। प्रार्थीगण की गुंडागर्दी से गांव में लोग डरते हैं तथा उक्त कारण से अप्रार्थीगण के भवन निर्माण हेतु कोई मजदूर व कारीगर भी तैयार नहीं हो रहा है। प्रार्थीगण को अप्रार्थीगण के पट्टेशुदा भूमि में कोई निर्माण करने का अधिकार नहीं है। यह कि सिरौही रियासत के राजस्थान राज्य में विलीनीकरण के समय हुए करार के अंतर्गत सिरौही रियासत के किसी भी कार्य को चुनौती देने का अधिकार नहीं रखा गया है। प्रार्थीगण व्यथित व्यक्ति की परिभाषा में ही नहीं है। प्रार्थीगण को कोई अधिकार ही निगरानी पेश करने का व अप्रार्थीगण के पट्टों को चुनौती देने का नहीं है। अन्यथा भी पंचायत द्वारा जारी पट्टे को निरस्त कराने हेतु विधि में अपील का प्रावधान है और निगरानी पोषणीय नहीं होने से खारिजगी काबिल है। प्रार्थीगण की निगरानी ही माननीय न्यायालय के श्रवणाधिकार की नहीं है। राजस्थान पंचायती राज नियम की धारा 166 के तहत आबादी भूमि विक्रय करने के पंचायत के मूल आदेश की अपील अधिनियम की धारा 61 के तहत किये जाने का प्रावधान किया गया है। जिन मामलों में अपीलें प्रावधानित हैं, उन मामलों में निगरानी के जरिये हस्तक्षेप करना अपीलीय न्यायालयों द्वारा अवैध होना विनिश्चित किया है। प्रार्थीगण द्वारा पेश निगरानी भी अवधि मध्य नहीं है। सामान्य अवधि अधिनियम के तहत निगरानी हेतु 90 दिन की अवधि निश्चित है अतः अन्यथा भी निगरानी म्याद बाहर है। विधि में हर अनुतोष हेतु अवधि नियत है। प्रार्थीगण की निगरानी न तो अवधि मध्य है और न निगरानी पोषणीय ही है। निगरानी हेतु जहां अवधि का प्रावधान नहीं है, वहां यथोचित समय के भीतर किया जाना माननीय उच्चतम न्यायालय ने अपने निर्णय 1997 SAR 783 में व उच्च न्यायालय ने 1999 RLW [3] 1390 में अभिनिर्धारित किया है। अतः निवेदन है कि प्रार्थीगण का निगरानी प्रार्थना पत्र मय व्यय खारिज किया जाना फरमावें।

उभय पक्ष की सुनी गई बहस पर मनन किया। प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र एवं अप्रार्थी संख्या एक से पांच की ओर से प्रस्तुत जवाब एवं पत्रावली का भलिमौति नियमों के परिप्रेक्ष्य में अध्ययन एवं अवलोकन किया गया तो निष्कर्ष निम्न प्रकार है :-

जहाँ तक अप्रार्थी संख्या एक से पांच के अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत आपत्ति का प्रश्न है तो राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 97 के अन्तर्गत निगरानी पेश करने हेतु कोई अवधि निर्धारित नहीं है। किसी पंचायती राज संस्था के विनिश्चय या आदेश के सही होने, उसकी विधिकता के बारे में या ऐसी कार्यवाहियों के बारे में स्वयं का समाधान करने एवं उसकी परीक्षा स्वप्रेरणा से करने के राज्य सरकार के अधिकार जिला कलक्टर को प्रदत्त है।

अप्रार्थी संख्या एक से पांच के पूर्व रसाधिकारियों के हक में उक्त प्रस्ताव संख्या 16 दिनांक 19.06.1979 ग्राम पंचायत, झाडौली द्वारा रूपये 25/- जरिए रसीद संख्या 62 दिनांक 07.07.1979 को शुल्क लेकर राजस्थान पंचायती राज सामान्य नियम 1961 के नियम 266 के तहत 120 वर्गफीट भूमि को मूल पट्टा संख्या 101 दिनांक 07.06.1952 में शुमार (एडजस्ट) किया गया है। राजस्थान पंचायती राज सामान्य नियम 1961 के नियम 266 के अनुसार पंचायत आबादी भूमि में भूखण्ड आवंटन हेतु व्यक्तियों का आबादी भूमि पर कब्जा 20 वर्ष अथवा अधिक परन्तु 40 वर्षों से कम का है वहां विद्यमान बाजार कीमत का 1/3 भाग और जहां कब्जा 40 वर्ष से अधिक का है वहां विद्यमान बाजार दर का छठा भाग प्रभारित किया जायेगा।

जहां तक अप्रार्थी संख्या एक से पांच के लायक अधिवक्ता द्वारा यह निगरानी प्रार्थना पत्र म्याद बाहर प्रस्तुत किया गया है इस संबंध में विधिक दृष्टान्त सएआर 1997 पेज 783, आरएलडब्लू 1999(3) राजस्थान पेज 1390, आरएलडब्लू 1997(3) राजस्थान पेज 1567 में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 धारा 97 का प्रयोग करते समय परिसीमा अधिनियम, 1963, अनुच्छेद 137 के अधीन

पुनरीक्षण शक्तियों का उपयोग करने हेतु राज्य सरकार की शक्तियों जिला कलेक्टर को दी गई है। राजस्थान पंचायत राज अधिनियम, 1953 की धारा 27(क) सपटित राजस्थान पंचायत एवं साधारण नियम 1961 के नियम 272 के अन्तर्गत परिसीमा की अवधि के प्रावधानों के अंतर्गत प्राधिकारी द्वारा पुनरीक्षणीय शक्तियों का प्रयोग अभिनिर्धारित न्यायोचित अवधि के भीतर करने का निर्णय दिया गया है साथ ही न्यायोचित अवधि प्रत्येक प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों पर निर्भर करेगी। अप्रार्थी संख्या एक से पांच के अधिवक्ता द्वारा यह प्रार्थना पत्र म्याद बाहर प्रस्तुत किये जाने का कथन है, कि यह निगरानी प्रार्थना पत्र लम्बे समय बाद प्रस्तुत किया है अप्रार्थी संख्या एक से पांच के अधिवक्ता का यह कथन सत्य है, किन्तु माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा भी विधिक दृष्टान्तों में पुनरीक्षण की शक्तियों का प्रयोग करने में प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों पर निर्भर करना माना गया है, एवं ऐसे प्रकरण में भी समयावधि के बारे में उचित अवधि का सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है।

पत्रावली पर उपलब्ध दस्तोवजों के अवलोकन से स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत झाड़ौली द्वारा पंचायत बैठक दिनांक 19.06.1979 में प्रस्ताव संख्या 16 पारित कर इस आशय का निर्णय लिया है कि वादग्रस्त 15X8 कुल 120 वर्गफीट भूमि की कीमत रूपए 25/- शुल्क लेकर उपरोक्त भूमि मूल पट्टा संख्या 101 दिनांक 07.06.1952 में राजस्थान पंचायती राज सामान्य नियम 1961 के नियम 266 के अनुसार शुमार (एडजस्ट) किया गया है। अप्रार्थी संख्या एक से पांच के पूर्व रसाधिकारी शाह दानमल, पानाचंद, भेरूलाल बेटा पोता खुशाल के नाम से उनके मूल मकान का पट्टा संख्या 31 दिनांक 26.10.1949 को जारी किया गया था एवं अप्रार्थीगण के उक्त मकान के दक्षिण में पेडले की जमीन का पट्टा संख्या 101 दिनांक 07.06.1952 क्षेत्रफल 122.6 शाह दानमल पानाचंद भैरालाल बेटा पोता खुशाल के नाम से जारी हुआ है, जो पट्टा संख्या 72 दिनांक 25.07.1910 शाह खुशाल दानमल चुन्नीलाल रतना औतर के नाम से जारी किए गए पट्टे का तब्दील पट्टा जारी किया गया है। उक्त पट्टा संख्या 101 से सम्बन्धित भूखण्ड के पूर्व दिशा में छिपा मगना डारसूजी के मकान स्थित है तथा उत्तर दिशा में अप्रार्थीगण स्वयं के मकान स्थित है। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों के अवलोकन से यह पाया जाता है कि ग्राम पंचायत झाड़ौली द्वारा अप्रार्थीगण के मकान, जिसका पट्टा संख्या 31 दिनांक 26.10.1949 को जारी किया गया है, के दक्षिण दिशा में ही पेडले की वादग्रस्त भूमि 15X8 कुल 120 वर्गफीट के सम्बन्ध में प्रस्ताव संख्या 16 दिनांक 19.06.1979 को पारित किया गया था, जिसमें उक्त वादग्रस्त भूमि 120 वर्गफीट को पूर्व में पेडले की जमीन का जारी पट्टा संख्या 101 दिनांक 07.06.1952 में शुमार (एडजस्ट) किया गया है। प्रार्थी अधिवक्ता का कथन है कि ग्राम पंचायत झाड़ौली द्वारा उक्त वादग्रस्त प्रस्ताव संख्या 16 दिनांक 19.06.1979 आम रास्ते एवं सार्वजनिक चौक की भूमि के सम्बन्ध में लिया गया है इस सम्बन्ध में पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों के अवलोकन से यह पाया जाता है कि ग्राम पंचायत झाड़ौली द्वारा अप्रार्थीगण के हक में पारित किया गया प्रस्ताव संख्या 16 दिनांक 19.06.1979 के द्वारा जिस वादग्रस्त भूमि 120 वर्गफीट को पेडले की भूमि के पट्टे में शुमार (एडजस्ट) किया गया है, उस वादग्रस्त 120 वर्गफीट भूमि में से लगभग आधी भूमि पूर्व में पेडले की जमीन के जारी पट्टे की है, जिसका पट्टा संख्या 101 दिनांक 07.06.1952 को जारी किया गया है और यदि उक्त भूमि आम रास्ते एवं सार्वजनिक चौक की भूमि होती तो प्रार्थीगण या अन्य पडौसी व्यक्तियों द्वारा उक्त पेडले की जमीन का पट्टा संख्या 72 दिनांक 25.07.1910 एवं तब्दील पट्टा संख्या 101 दिनांक 07.06.1952 जारी करते समय अवश्य आपत्ति प्रस्तुत की जाती, परन्तु उनके द्वारा किसी भी प्रकार की कोई आपत्ति प्रस्तुत किए जाने का कोई साक्ष्य पत्रावली पर उपलब्ध नहीं है एवं उक्त पट्टों को जारी किए हुए काफी लम्बा समय व्यतीत हो चुका है एवं उक्त अवधि में भी प्रार्थीगण या अन्य व्यक्तियों के द्वारा उक्त पट्टे आम चौक की भूमि के जारी होने के सम्बन्ध में कोई शिकायत नहीं की गई। इसके अलावा प्रार्थीगण द्वारा पट्टा संख्या 101 दिनांक 07.06.1952 के पूर्व दिशा में स्थित छिपा मगना डारसूजी के मकान को क्रय किया गया है। यदि उक्त पट्टे आम चौक की भूमि पर जारी किए गए होते या उक्त वादग्रस्त



भूमि पर बने पेडले से प्रार्थीगण के मकान का दरवाजा बन्द होता तो निश्चित रूप से प्रार्थीगण के स्वयं के मकान के पूर्व मालिक छिपा मगना डासूजी या उनके उत्तराधिकारियों के द्वारा भी आपत्ति पेश की जाती, परन्तु पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों के आधार पर उनके द्वारा भी किसी भी प्रकार की कोई आपत्ति जाहिर नहीं की गई। अतः उपरोक्त वर्णित विवेचन के आधार पर यह साबित नहीं होता है कि अप्रार्थीगण के हक में जारी किए गए उक्त पट्टे आम चौक की भूमि के जारी किए गए हैं। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि ग्राम पंचायत झाड़ौली द्वारा प्रस्ताव संख्या 16 दिनांक 19.06.1979 के द्वारा वादग्रस्त 120 वर्गफीट भूमि अप्रार्थीगण को नया पट्टा जारी नहीं किया गया है। बल्कि उक्त भूमि को पेडले की जमीन का पूर्व में अप्रार्थीगण के पूर्व रसाधिकारियों के हक में जारी पट्टा संख्या 101 दिनांक 07.06.1952 में शुमार (एडजस्ट) किया गया है। इसके अलावा प्रार्थीगण के मकान के लगते पश्चिम दिशा में स्थित भूमि पट्टा संख्या 101 दिनांक 07.06.1952 से सम्बन्धित भूमि है और यदि प्रार्थीगण को अपने मकान के पश्चिम दिशा में दरवाजा खोलने में बाधा आ रही थी तो प्रार्थीगण को पट्टा संख्या 101 दिनांक 07.06.1952 को निरस्त करवाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जानी चाहिए थी, परन्तु उनके द्वारा उक्त पट्टा संख्या 101 दिनांक 07.06.1952 को निरस्त करवाने के सम्बन्ध में किसी भी प्रकार की कोई कार्यवाही की गई हो, ऐसा किसी भी प्रकार का दस्तावेजी साक्ष्य पत्रावली पर उपलब्ध नहीं है। प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा यह भी कथन किया गया है कि उक्त प्रस्ताव संख्या 16 दिनांक 19.06.1979 के सम्बन्ध में ग्राम पंचायत झाड़ौली में रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं है। इस सम्बन्ध में पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों के अवलोकन से यह पाया जाता है कि ग्राम पंचायत झाड़ौली द्वारा जरिए पत्र क्रमांक/ग्रा.पं./2023-24/171 दिनांक 31.05.2023 के द्वारा यह बताया गया है कि उक्त प्रस्ताव से सम्बन्धित रिकॉर्ड लगभग 40 वर्ष पुराना होने से जीर्ण शीर्ण व अपठनीय होने से प्रार्थी को उपलब्ध करवाना संभव नहीं है। चूंकि पट्टे से सम्बन्धित रिकॉर्ड को व्यवस्थित रखने का दायित्व ग्राम पंचायत का होता है न कि पट्टाधारक का। यदि ग्राम पंचायत कार्यालय में पट्टे से सम्बन्धित रिकॉर्ड जीर्ण शीर्ण व अपठनीय हो गया है तो इसके लिए पट्टाधारक को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता है। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों के अवलोकन से यह पाया जाता है कि प्रार्थी द्वारा अप्रार्थीगण के पेडले को तोड़ने पर दिनांक 24.04.2023 को प्रार्थी स्वयं के द्वारा यह लिखित में दिया गया है कि वह उसे पुनः बनाकर देगा तथा प्रार्थी द्वारा उक्त पेडले को बनाकर नहीं देने पर अप्रार्थी संख्या एक श्री अतुल कुमार द्वारा पुलिस थाना पिण्डवाडा में एफ.आई.आर भी दर्ज करवाई गई, जिसमें उपलब्ध रिकॉर्ड के अनुसार जांच विचाराधीन है।

अतः उपरोक्त विवेचन एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों के अवलोकन के आधार पर यह न्यायालय ग्राम पंचायत झाड़ौली द्वारा अप्रार्थीगण के पूर्व रसाधिकारियों के हक में लिया गया प्रस्ताव संख्या 16 दिनांक 19.06.1979 में किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप करना उचित नहीं मानता है। अतः ऐसी स्थिति में प्रार्थी का निगरानी प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है।



निर्णय सरे इजलास सुनाया गया ।

*Mala*

(अल्पा चौधरी)  
जिला कलक्टर, सिरौही